राजस्थान विधान सभा

छठा सत्र

कार्य-सूची

सोमवार, दिनांक 04 अप्रेल, 2016

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

(I) राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री विट्ठल शंकर अवस्थी, डॉ. फूलचन्द भिण्डा, श्री रामहेत सिंह यादव एवं श्री अर्जुनलाल जीनगर, सदस्य, विधान सभा, नगर परिषद, भीलवाड़ा एवं जिन्दल शॉ लिमिटेड़ के मध्य रेल लाईन पर ओवरब्रिज बनाने के इकरार की पालना कराये जाने के संबंध में नगरीय विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

(II) राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्रीमती अनिता, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र - नगर की ग्राम पंचायत पेंडका और मानौताकलां द्वारा कराये गये कार्यों में बरती गई कथित अनियमितताओं के संबंध में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी ।

3. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(अ) अधिसूचनायें

श्री राजपाल सिंह शेखावत, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, आबकारी विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

आबकारी विभाग

1. अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)वित्त/आब/2016/पार्ट-1 दिनांक 1.4.2016, जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किया गया हैं;
2. अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)वित्त/आब/2016/पार्ट-1 दिनांक 1.4.2016, जिसके द्वारा राजस्थान एक्साईज (ग्रान्ट ऑफ होटल बार/क्लब बार लाइसेंस) नियम, 1973 में संशोधन किया गया है;
3. अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)वित्त/आब/2016/पार्ट-1 दिनांक 1.4.2016, जिसके द्वारा राजस्थान एक्साईज (ग्रान्ट ऑफ रेस्टोरेन्ट बार लाइसेंसेंस) नियम, 2004 में संशोधन किया गया है;

जारी..2..

4. अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)वित्त/आब/2016/पार्ट-1 दिनांक 1.4.2016, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.4(62)वित्त/आब/96 दिनांक 31.3.1997 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया हैं; एवं
5. अधिसूचना संख्या: एफ.4(14)वित्त/आब/2014 दिनांक 01.4.2016, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(14)वित्त/आब/2014 दिनांक 12.2.2016 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया गया हैं ।

(ब) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

श्री अजय सिंह, सहकारिता राज्यमंत्री, निम्नांकित लेखा परीक्षा रिपोर्ट सदन की मेज पर रखेंगे :-

(I) राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 54(14) के अन्तर्गत द राजस्थान अरबन को-ऑपरेटिव बैंक्स फैडरेशन लिमिटेड़, जयपुर की लेखा परीक्षा रिपोर्ट वर्ष 2014-2015; एवं

(II) राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 54(14) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लिमिटेड़, जयपुर की लेखा परीक्षा रिपोर्ट वर्ष 2014-2015.

4. याचिका का उपस्थापन

श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा, जिला मुख्यालय नागौर से विधान सभा क्षेत्र खींवसर के ग्राम पंचायत मुख्यालय संखवास व खजवाना को रोड़वेज (परिवहन) बस सेवा से जोड़ने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

5. विधायी कार्य

(अ) पुर:स्थापित किया जाने वाला विधेयक

राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) विधेयक, 2016

(I) श्री वासुदेव देवनानी, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्या-12)	"राजस्थान राज्य में विद्यालयों द्वारा फीस के संग्रहण का विनियमन करने और इससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने हेतु विधेयक'' ।

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

जारी..3..

(ब) विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

(I) राजस्थान विशेष विनिधान रीजन विधेयक, 2016

(I) श्री गजेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान विशेष विनिधान रीजन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्या-7)	"राज्य में विशेष विनिधान रीजन की स्थापना, योजना, विकास, प्रचालन, अनुरक्षण, प्रबन्ध और विनियमन के लिये और उनसे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक ।"

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(II) राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2016

(I) श्री अजय सिंह, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्या-8)	"राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 को और संशोधित करने के लिये विधेयक ।"

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(III) राजस्थान नगरीय भूमि (हक प्रमाणन) विधेयक, 2016

(I) श्री राजपाल सिंह शेखावत, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान नगरीय भूमि (हक प्रमाणन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्या-9)	"नगरीय भूमियों का सर्वेक्षण करने और अभिलेख संधारित करने और उनके हक का प्रमाणन करने तथा उनसे संसक्त और आनुषंगिक मामलों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक ।"

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

पृथ्वी राज
विशिष्ट सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर ।
दिनांक : 01 अप्रेल, 2016

राजस्थान विधान सभा

छठा सत्र

अनुपूरक कार्य-सूची

सोमवार, दिनांक 04 अप्रेल, 2016

विधायी कार्य

विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान भूमि पूलिंग स्कीम विधेयक, 2016

(I) श्री राजपाल सिंह शेखावत, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान भूमि पूलिंग स्कीम विधेयक, 2016
(2016 का विधेयक संख्या-13)

"भूमि पूलिंग पद्धति के माध्यम से नगरीय विकास स्कीमों और परियोजनाओं के क्रियान्वयन और उनसे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने हेतु विधेयक ।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

पृथ्वी राज
विशिष्ट सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 04 अप्रेल, 2016

नोट- यह आईटम आज दिनांक 04 अप्रेल, 2016 को आईटम संख्या – 5(अ) के साथ लिया जायेगा।